न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–32 / 2026

रमेश उर्फ मोढे प्रति सरकार उत्तर प्रदेश

11–03–2026

पुकार कराई गई। प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े के अधिवक्ता तथा विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) न्यायालय में उपस्थित हैं। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े की ओर से दिनांक 24–02–2026 को एक प्रार्थनापत्र 9ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र 10ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि उसे अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16–01–2026 को दोषसिद्ध किया गया है और उसके द्वारा इस आपराधिक अपील याचिका को प्रस्तुत करने में दस दिन का विलम्ब कारित हुआ है। उसके द्वारा जान बूझकर इस अपील याचिका को दाखिल करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है बल्कि उसके अस्वस्थ होने के कारण इस आपराधिक अपील याचिका को दाखिल करने में दस दिन का विलम्ब हुआ है। अतः इस अपील याचिका को दाखिल करने में हुए दस दिन के विलम्ब को उसे धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए माफ किया जाय। प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र 9ख पर विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है अपितु आज सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र 9ख पर ही घोर आपत्ति की जाती है, वाक्य लिखकर उक्त प्रार्थनापत्र 9ख का विरोध किया गया है।

मैने प्रार्थनापत्र 9ख व शपथपत्र 10ख पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना व पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

प्रभारी मुंसरिम जनपद न्यायालय चन्दौली की आख्या दिनांकित 24–02–2026 से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत निगरानी याचिका दाखिल करने में 9 दिन का विलम्ब हुआ है। प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र 9ख में यह अभिकथन किया है कि वह अस्वस्थ होने के कारण समय से यह अपील याचिका दाखिल नहीं कर सका। प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र 9ख में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र 10ख भी दाखिल किया गया है जिसका खण्डन विपक्षी की ओर से किसी प्रति शपथपत्र के माध्यम से नहीं किया गया है और इस प्रकार उक्त शपथपत्र 10ख अखण्डित है। पुनः विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर उभय पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के उपरान्त ही किया जाना अधिक न्यायसंगत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र 9ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 9ख मु. आठ सौ रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े की ओर से प्रश्नगत अपील याचिका दाखिल करने में जो दस दिन का विलम्ब कारित हुआ है उसे धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए माफ किया जाता है। प्रार्थी रमेश उर्फ मोढ़े दिनांक 28–03–2026 तक हर्जे की उक्त धनराशि मु. आठ सौ रू. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के कार्यालय में जमा करके उसकी रसीद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

सेशन जज,
चन्दौली।

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.03.11 12:57:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court